

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 26/13 क्लेम

1.राधेश्याम गुप्ता पुत्र स्व. तोताराम गुप्ता.....मृत
द्वारा वारिस-

(1अ)श्रीमती मिथलेश पत्नी स्व0 श्री राधेश्याम गुप्ता
आयु 62 साल

(1ब)दीपक गुप्ता पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम गुप्ता आयु 40
साल

(1स)कपिल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम गुप्ता आयु
37 साल निवासी वार्ड नं013 गोहदी गेट, गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0

-----आवेदकगण

प्रकरण क्रमांक 27/2013 क्लेम

श्रीमती मिथलेश गुप्ता पत्नी राधेश्याम गुप्ता आयु 60
वर्ष, जाति वैश्य माहौर, निवासी वार्ड क्रं0 13 गोहदी
गेट गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

बनाम

1-थानसिंह पुत्र देवी सिंह आयु 34 वर्ष, निवासी
ग्राम धर्मपुरा, पुलिस थाना फरह, जिला मथुरा उ0प्र0

-----वाहन चालक

2-गोरब कुमार पुत्र बीरेन्द्र कुमार आयु.....वर्ष ,
निवासी बिलखौरा, हाथरस उ0प्र0

-----वाहन मालिक

3-नैशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ब्रांच आफिस
(461402) मथुरा उ0प्र0 1953 Dangler
Nagar, Junction Road Mathura
281001[U.P]

----- बीमा कम्पनी

आवेदक द्वारा श्री पी0एन0भट्टेले अधिवक्ता

अनावेदक क्रं01,2 पूर्व से एक पक्षीय

अनावेदक क्रं03 द्वारा श्री राकेश गुप्ता अधिवक्ता

//अधि-निर्णय//

//आज दिनांक 30-01-2016 को घोषित किया गया //

01. आवेदक राधेश्याम की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है जो कि क्लेमप्रकरण क्रमांक 26/13 के रूप में है तथा आवेदिका श्रीमती मिथलेश गुप्ता की ओर से भी पेश उक्त धारा के अंतर्गत आवेदनपत्र प्र0कं0 27/13 का निराकरण किया जा रहा है जो कि दोनों प्रकरण एक ही घटना से संबंधित होने से संयोजित किए गए हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। जिसमें आवेदकगण ने बुलेरो जीप क्रमांक यू0पी086 सी 3309 के स्वामी चालक एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आई हुई उपहतियों एवं अन्य मदों में प्रतिकर स्वरूप क्रमशः 9,94,000/- रूपए एवं 11,44,000/- रूपए एवं उस पर ब्याज दिलाये जाने बावत् पेश किया गया है।

02. यह अविवादित है कि प्रकरण के प्रचलन के दौरान क्लेम प्रकरण क्रमांक 26/13 के आवेदक राधेश्याम गुप्ता की मृत्यु हो जाने से उसके वारिस रिकार्ड में उसके स्थान पर आए हैं।

03. दोनों ही क्लेम आवेदनपत्रों के संबंध में **समान तथ्य** संक्षेप में इस प्रकार से है कि क्लेम प्रकरण क्रमांक 26/13 के आवेदक राधेश्याम उम्र 62 वर्ष दिनांक 13-7-12 को क्लेम प्रकरण क्रमांक 27/13 की आवेदिका अपनी पत्नी मिथलेश आयु 57 वर्ष के साथ अपनी स्विफ्ट गाडी क्रं0 एम0पी0-07-सी सी 5038 को लेकर गोहद से गोबर्धन धाम की यात्रा के लिये जा रहा था। उनके साथ आवेदक के साडू भाई का बच्चा शिवम गुप्ता भी था तथा आवेदक के वाहन को ड्राइवर यूशूफ खॉन चला रहा था। आगरा से निकलकर करीब 10-12 कि0मी0 आगे फरह थाने जिला मथुरा के क्षेत्र में हाईवे पर पहुँचे तो पीछे से बोलेरो क्रं यू0पी086 सी 3309 को अनावेदक क्रं01 रॉंग साइड से गाडी को घुमाकर तेजी व लापरवाही से आवेदक उनकी की गाडी में टक्कर मारदी जिससे दोनों ही आवेदकगण राधेश्याम एवं उसकी पत्नी श्रीमती मिथलेश दोनों को चोटें आई और वे बुरी तरह से घायल हो गये। दुर्घटना में दोनों आवेदकगण के हाथ पैर टूट गया और शरीर के अन्य भागों में भी चोटें आई। घटना के पश्चात् उन्हें गंभीर हालत में आगरा में उनका इलाज चला। घटना की रिपोर्ट उनके पुत्र दीपक गुप्ता द्वारा दिनांक 15-7-12 को थाना फरह जिला मथुरा में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। जिस पर पुलिस थाना फरह द्वारा अप0कं0 128/12 अन्तर्गत धारा 279,338,427 भा0द0वि0 का दर्ज की गई।

04. क्लेम प्रकरण क्रमांक 26/13 के **विशिष्ट तथ्य** इस प्रकार से है कि उपरोक्त दुर्घटना में आवेदक राधेश्याम को गंभीर चोटें आई थी जो कि उसका इलाज आगरा के प्राइवेट अस्पतालों में कराया गया जहाँ कि वह भर्ती भी रहा। आवेदक घटना में आई हुई चोटों से चलने फिरने और कार्य करने में असक्षम हो गया है और शारीरिक रूप से वह बिकलांग होकर 90प्रतिशत अशक्त हो गया है। इलाज के दौरान उसे इलाज के खर्च पोष्टिक आहार व आने जाने में भी व्यय हुआ एवं आवेदक को शारीरिक व मानसिक कष्ट भी सहन करना पड़ा, उसे स्थाई बिकलांगता भी आ गई। उक्त सभी मदों में कुल 9,94,000/- रूपए एवं उस पर ब्याज प्रतिकर स्वरूप अनावेदकगण से दिलाए जाने का निवेदन किया

है।

05. क्लेम प्रकरण क्रमांक 27/13 के संबंध में **विशिष्ट तथ्य** प्रकार से है कि दुर्घटना में आवेदिका को गंभीर चोटें आईं और वहाँ आगरा के प्राइवेट अस्पताल में वह भर्ती रही और उसका इलाज चला। आवेदिका को दुर्घटना में आई हुई चोटों के फलस्वरूप वह स्थाई रूप से अशक्त भी हो गई जो कि वह 90 प्रतिशत अशक्त हो गई है। इलाज में उसे खर्च आया है तथा स्थाई बिकलांगता के कारण वह अपना काम काज आदि करने में असक्षम हो गई है और उसे शारीरिक व मानसिक कष्ट भी हुआ है। उक्त सभी मदों में कुल 11,44,000/- रूपए एवं उस पर व्याज प्रतिकर स्वरूप अनावेदकगण से दिलाए जाने का निवेदन किया है।

06. प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1,2 उन्हें समंस की तामीली के उपरांत अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है इस वजह से उनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

07. दोनों ही क्लेम आवेदनपत्रों के संबंध में समान रूप से जवाब पेश करते हुये अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी ने भी आवेदकगण के आवेदनपत्रों के अभिकथनों को इन्कार करते हुये इस बात से इन्कार किया है कि आवेदकगण की शिफ्ट गाडी को बोलेरो क्रमांक यू0पी086 सी 3309 के द्वारा टक्कर मारी गयी है और उक्त घटना में आवेदकगणों को किसी प्रकार की कोई चोट आने, उन्हें स्थायी अशक्तता होने और उनका इलाज होना और इलाज में होने वाले व्यय के तथ से भी इन्कार किया है। यह अभिकथित किया है कि गलत एवं काल्पनिक रूप से दुर्घटना के संबंध में उक्त बोलेरो बाहन को लिफ्ट करते हुये रिपोर्ट करायी गयी है। अतिरिक्त आपत्ती में उनके द्वारा यह आधार लिया गया है कि प्रकरण में सिविल वाहन क्रमांक एम0पी007 सीसी 5038 के मालिक, चालक और बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः आवश्यक पक्षकारों के अभाव में प्रकरण चलने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त घटना दिनांक को प्रश्नाधीन बोलेरो वाहन के चालक के पास वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभारी ड्रायविंग लायसेंस मौजूद नहीं था इस कारण बीमा कंपनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व भी नहीं है। अतः क्लेम आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

08. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं।

प्रकरण क्रमांक 26/13 क्लेम

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1-	क्या दिनांक 13-7-12 को दिन के 1:15 बजे आगरा मथुरा रोड पर अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन बुलेरो क्रमांक यू0पी0 86 सी 3309 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक की गाडी में टक्कर मारकर उसे गंभीर उपहति कारित की ?	

2	क्या उक्त दुर्घटना में आई हुई उपहति के कारण आवेदक को स्थाई असक्तता कारित हुई ?	
3	क्या प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो बीमा पॉलिसी एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर चलाई जा रही थी ? यदि हां तो प्रभाव ?	
4	क्या प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ? यदि हां तो प्रभाव ?	
5	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है यदि हां तो किससे व कितना कितना ?	
6	सहायता एव व्यय ?	

प्रकरण क मांक 27/13 क्लेम

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1—	क्या दिनांक 13-7-12 को दिन के 1:15 बजे आगरा मथुरा रोड पर अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन बुलेरो क्रमांक यू0पी0 86 सी 3309 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक की गाडी में टक्कर मारकर उसे गंभीर उपहति कारित की ?	

2	क्या उक्त दुर्घटना में आई हुई उपहति के कारण आवेदक को स्थाई असक्तता कारित हुई ?	
3	क्या प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो बीमा पॉलिसी एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर चलाई जा रही थी ? यदि हां तो प्रभाव ?	
4	क्या प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है? यदि हां तो प्रभाव ?	
5	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है यदि हां तो किससे व कितना कितना ?	
6	सहायता एव व्यय ?	

// निष्कर्ष के आधार //

दोनों ही क्लेम प्रकरण के बिन्दु क्रमांक-1:-

09. आवेदक राधेश्याम आ0सा01 ने अपने साक्ष्य कथन में शपथपत्र में किये कथनों का समर्थन करते हुये बताया है कि दिनांक 13-7-12 को वह अपनी पत्नी के साथ अपनी स्विफ्ट गाडी से गोबर्धन यात्रा के लिये जा रहा था। जैसे ही आगरा से मुडकर दस बारह कि0मी0 गाडी फरह थाना क्षेत्र में पहुंची पीछे से बोलेरो क्रमांक यू0पी086 सी 3309 जिसे कि अनावेदक क्रं01 थानसिंह रोंग साईड में गाडी घुमाकर लाया और तेजी व लापरवाही से उसकी गाडी में टक्कर मार दी। जिससे वह और उसकी पत्नी बुरी तरहघायल हो गयी। दोनों हाथ पैर टूट गये तथा सिर व पसलियों व आंखों में गम्भीर चोटें आयी। उन्हें

इलाज हेतु आगरा के प्रायवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। उपरोक्त संबंध में पुलिस थाना फरह जिला मथुरा में उसके पुत्र दीपक गुप्ता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी जाकर अनावेदक कं01 के विरुद्ध अपराध कायम किया गया। आवेदक के द्वारा दाण्डिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि पेश की है जो कि प्रथम सूचना प्र0पी0 1, नक्शा मौका प्र0पी02, आरोप पत्र की प्रति प्र0पी0 3, जमानत आवेदनपत्र प्र0पी0 4, आदेश पत्रिका दिनांक 1-8-12 की प्रति प्र0पी05, रिलीज आवेदनपत्र प्र0पी0 6, रिलीजिंग आर्डर प्र0पी0 7, की प्रमाणित प्रतिलिपियां आवेदक के द्वारा पेश की गयी है।

10. उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरान्त उसके कथनों का जहां तक प्रश्न है। प्रतिपरीक्षण में उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। साक्षी के द्वारा घटना में प्रश्नाधीन वाहन बोलेरो को और उसके चालक को घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा है ऐसा भी मानने का कोई आधार व कारण परिलक्षित नहीं होता है।

11. उपरोक्त संबंध में घटना के संबंध में घटना में अन्य आहता क्लेम प्र0कं0 27/2013 की आवेदिका मिथलेश गुप्ता के द्वारा भी उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुये घटना में बोलेरो गाडी क्रमांक यू.पी. 86 सी 3309 के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से उनकी गाडी में टक्कर मारना और उसे व उसके पति राधेश्याम को घटना में गम्भीर चोटें आना जिसका कि इलाज आगरा के अस्पताल में हुआ था। घटना की रिपोर्ट उसके पुत्र दीपक के द्वारा दर्ज कराना बताया गया है। उपरोक्त साक्षिया के द्वारा भी दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 4342/13 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 मथुरा राज्य बनाम थानसिंह से चालान से प्राप्त सत्य प्रतिलिपियां 1 लगायत 5 और इलाज के संबंध में पर्चे 6 लगायत 55 पेश किए गए हैं।

12. साक्षी मिथलेश के प्रतिपरीक्षण उपरान्त उसके कथनों का जहां तक प्रश्न है। उसके प्रतिपरीक्षण में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं आया है जिससे कि उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में किये गये कथन प्रतिखण्डित हो रहा हो। वर्तमान साक्षिया के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन बोलेरो और उसके चालक को घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा है ऐसा भी मानने का कोई आधार व कारण परिलक्षित नहीं होता है।

13. आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी दीपक गुप्ता साक्षी कं02 द्वारा भी दुर्घटना घटित होने के संबंध में और घटना की रिपोर्ट उनके द्वारा थाना फरह जिला मथुरा में दर्ज कराना जिस पर कि अप0कं0 27/12 अनावेदक कं01 थानसिंह के विरुद्ध प्र0पी0 1 की रिपोर्ट दर्ज होना बताया है। उक्त साक्षी यद्यपि घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसे उसके पिता के द्वारा घटना के बारे में बताया जाना और उनके बताने पर उसके द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है। निश्चित तौर से उक्त साक्षी घटनास्थल पर नहीं था किन्तु घटना के पश्चात् उसे घटना के बारे में जानकारी मिल गयी थी और घटना के बारे में जानकारी मिलने पर वह अपने माता पिता के पास गया था और उसके द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके पिता के द्वारा घटना के संबंध में बताने पर दर्ज करायी गयी है। जो कि निश्चित तौर से घटना दिनांक को घटना घटित होने एवं घटना में आहत मिथलेश और राधेश्याम को चोटें आने की पुष्टि करता है।

14. घटना की पुष्टि आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी होती है जो कि घटना के पश्चात् घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना फरह जिला मथुरा में दीपक गुप्ता के द्वारा की गयी है, जिसमें कि बोलेरो क्रमांक यू0पी0 86 सी 3309 के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर कार क्रमांक

एम0पी007सी5038 में टक्कर मारने और उसके माता पिता को गम्भीर उपहति आने का उल्लेख स्पष्ट रूप से है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट यद्यपि घटना के दो दिन बाद दर्ज की गयी है, किन्तु घटना में आहतगण बुरी तरह से घायल हो गये थे और उनका इलाज प्रायवेट अस्पताल में चल रहा था और आई.सी.यू. में भर्ती थे। उनके पुत्र को सूचना मिलने पर उनका पुत्र दीपक आया था और उसके द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि रिपोर्ट दर्ज कराने में कुछ विलम्ब हुआ है, इसके आधार पर इस संबंध में कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती। निश्चित तौर से घटना घटित होने के उपरान्त आहतों के इलाज को प्राथमिकता दी जाती है और यदि इस तारतम्य में घटना की तुरन्त रिपोर्ट नहीं करायी जा सकी तो इससे कोई विपरीत प्रभाव प्रकरण पर नहीं पड़ता।

15. घटनास्थल के नक्शा मौका प्र0पी0 2 से भी इस बात की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन बोलेरो वाहन को रॉंग साईड में आकर के आवेदकगण की कार पर टक्कर मारी गयी। उक्त प्रकरण में अनावेदक कं01 की गिरफ्तारी होकर उसकी जमानत का आदेश होना प्र0पी0 4 व 5 के दस्तावेजों से स्पष्ट होता है। उपरोक्त बोलेरो वाहन की जप्ती भी की गयी है जो कि वाहन को अनावेदक कं0 2 के द्वारा आवेदनपत्र पेश किया गया है और उसमें सुपुर्दगी वाबत् आदेश ए0सी0जे0एम0 मथुरा के द्वारा प्र0पी0 7 के अनुसार किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में अनावेदक कं01 के विरुद्ध विवेचना उपरान्त चालान प्र0पी0 3 के अनुसार पेश किया गया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य भी अनावेदक कं01 घटना के समय वाहन का चालक होना और अनावेदक कं02 वाहन स्वामी होना पुष्टि करते हैं।

16. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की है। यहाँ तक कि प्रश्नाधीन बुलेरो वाहन के चालक का कथन भी उनके द्वारा नहीं कराया गया है जो कि इस संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा लिए गए आधार प्रतिखण्डित कर सकता था। ऐसी दशा में अनावेदक पक्ष के द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई प्रतिखण्डन नहीं हुआ है।

17. घटना में आहत राधेश्याम को चोटें आकर अस्थिभंग होना जो कि उसके चोटों और अस्थिभंग का इलाज रश्मी मेडीकेयर सेन्टर आगरा में होना उसके दाईं ह्यूमरश हड्डी में अस्थिभंग, रश्मी मेडीकेयर हॉस्पिटल के डिस्चार्ज किटिक प्र.पी. 66 तथा रश्मी मेडीकेयर सेन्टर से दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्रमाणपत्र प्र0पी0 8 से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार क्लेम प्रकरण कांक 27/2013 की आवेदिका मिथलेश को दुर्घटना में दाईं ह्यूमरश हड्डी और फीमर हड्डी में अस्थिभंग होना पाया जाने से उसका इलाज चला था जो कि रश्मी मेडीकेयर सेन्टर के डिस्चार्ज टिकिट प्र.पी. 24 तथा रश्मी मेडीकेयर सेन्टर से दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्रमाणपत्र प्र0पी0 6 से स्पष्ट होता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त संबंध में जो प्रकरण पुलिस थाना फरह के द्वारा दर्ज किया गया है उसमें भी धारा 279, 427, 338 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है जो कि अभियोगपत्र प्र.पी. 2 से स्पष्ट होता है। इस परिप्रेक्ष्य में घटना में अस्थिभंग राधेश्याम एवं मिथलेश को अस्थिभंग होकर गंभीर चोटें आना प्रमाणित है।

18. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 13.07.2012

को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन बुलेरो क्रमांक यू.पी. 86 सी 3309 को उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित की जिसमें कि आवेदकगणों को चोटें आकर उन्हें गंभीर उपहति कारित हुई। तदनुसार दोनों ही क्लेम प्रकरणों से संबंधित बिन्दु क्रमांक 1 का निराकरण कर उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

दोनों ही क्लेम प्रकरण के बिन्दु क्रमांक-2:-

19. क्लेम प्रकरण क्रमांक 26/13 के आवेदक राधेश्याम तथा 27/13 की आवेदिका मिथलेश के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि उपरोक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आई हुई चोटों से उन्हें स्थाई अशक्तता आ गई है और अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है।

20. उपरोक्त दुर्घटना में यद्यपि आवेदकगण राधेश्याम मिथलेश को उपहति कारित होना और उन्हें फ्रेक्चर आना पाया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उन्हें फ्रेक्चर आना पाया गया है उसे स्थाई अशक्तता आना नहीं माना जा सकता है। जैसा कि इस बिन्दु पर **कमल कुमार जैन वि० ताजुद्दीन बगैरह 2004(2) एम.पी.एल.जे. 472** में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। दोनों ही आवेदकगणों की ओर से उन्हें घटना के कारण कोई स्थाई अशक्तता आ जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश कर प्रमाणित नहीं कराए गए हैं जिससे कि उन्हें स्थाई अशक्तता आने की कोई पुष्टि हो सके। ऐसी दशा में मात्र इस संबंध में उनके द्वारा मौखिक कथन के आधार पर जबकि किसी दस्तावेजी या चिकित्सक के द्वारा प्रमाणित मेडीकल प्रमाण से उक्त तथ्य पुष्ट नहीं है, उन्हें स्थाई अशक्तता आना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। तदनुसार दोनों ही प्रकरणों के बिन्दु क्रमांक 2 अप्रमाणित होना पाये जाते हैं।

दोनों ही क्लेम प्रकरण के बिन्दु क्रमांक-3 :-

21. वर्तमान बिन्दुओं को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर है जिनके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को वाहन बुलेरो क्रमांक यू.पी. 86 सी. 3309 को उसके चालक के द्वारा वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना चलाया जा रहा था जो कि बीमा पॉलिसी एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, किन्तु इस बिन्दु पर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसी दशा में जबकि वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर था उसके द्वारा साक्ष्य पेश न करने के कारण बिन्दु प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

दोनों ही क्लेम प्रकरण के बिन्दु क्रमांक-4:-

22. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि वर्तमान प्रकरण की दुर्घटनाग्रस्त स्विफ्ट कार के चालक, स्वामी और बीमा कम्पनी आवश्यक पक्षकार है, उन्हें पक्षकार बनाए बिना प्रकरण नहीं चल सकता है। इस कारण पक्षकारों के असंयोजन होने का आधार लिया गया है।

23. उपरोक्त संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा इस बिन्दु पर कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में यद्यपि दुर्घटनाग्रस्त स्विफ्ट कार के चालक, स्वामी व बीमा कम्पनी को

पक्षकार नहीं बनाया गया है तो इस आधार पर पक्षकारों के असंयोजन का दोष होना भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि स्विफ्ट वाहन को स्वयं प्रश्नाधीन बुलेरो वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई है। स्विफ्ट वाहन के चालक की किसी प्रकार से कोई योगदाई उपेक्षा रही हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने नहीं माना जा सकता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

क्लेम प्रकरण 26/13 का बिन्दु क्रमांक-5:-

24. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के प्रचलन के दौरान वर्तमान प्रकरण के आवेदक राधेश्याम गुप्ता की मृत्यु हो चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि उसकी मृत्यु हो गई है और उसे कोई स्थाई अशक्तता होना भी प्रमाणित नहीं पाया गया है। स्थाई अशक्तता के मद में या उसे कोई शारीरिक मानसिक कष्ट व अन्य मद में कोई राशि नहीं दिलाई जानी उचित नहीं है। पोष्टिक आहार में हुए व्यय और आने जाने के संबंध में हुए व्यय के भी कोई बिल पेश नहीं है, किन्तु उक्त मदों में खर्च आया होगा जो कि दोनों मदों में मिलाकर 5000/- रूपए दिलाया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त आवेदक के इलाज में हुए खर्च व्यय की राशि भी दिलाई जानी उचित होगी जो कि इस संबंध में आवेदक की ओर से इलाज बावत् पेश ओरिजनल बिलों की राशि 1,57,457/- रूपए जो कि राउण्ड फिगर में 1,57,460/- रूपए दिलाई जानी उचित होगी। इस प्रकार उनके वारिस प्रतिकर स्वरूप कुल राशि $5000 + 1,57,460 = 1,63,460/-$ रूपए प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना उचित होगा। उक्त प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से उक्त प्रतिकर की राशि आवेदक के वारिसों को अदा करेंगे। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

क्लेम प्रकरण 27/13 का बिन्दु क्रमांक-5:-

25. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 13.07.2012 को वाहन बुलेरो क्रमांक यू.पी. 86 सी. 3309 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित की है जिस दुर्घटना में वर्तमान आवेदकों को उपहतियों कारित हुई है। उक्त वाहन दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था तथा अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में वाहन के बीमित होने के संबंध में बीमा कम्पनी के द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है, बल्कि स्वयं बीमा की प्रति प्र.डी. 1 उनके द्वारा पेश की गई है। उपरोक्त दुर्घटना में आवेदिका मिथलेश को चोटें आकर अस्थिभंग होना और उसका इलाज चलना प्रमाणित है जो कि इस संबंध में आवेदक के द्वारा इलाज बावत् प्र.पी. 6 लगायत प्र.पी. 55 की इलाज के बिल व पर्चे पेश किए गए हैं।

26. उपरोक्त दुर्घटना में यद्यपि आवेदिका को स्थाई अशक्तता आना प्रमाणित नहीं है। इस कारण स्थाई अशक्तता के मद में उसे कोई राशि दिलाई जानी उचित नहीं है, किन्तु आवेदिका को दुर्घटना के फलस्वरूप आई हुई चोटों के कारण इलाज चला है जो कि इलाज में आए हुए व्यय बिल की राशि के अनुसार 99,200/-रूपए होते हैं जो कि आवेदिका को दिलाया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदिका को इलाज के दौरान पोष्टिक आहार और विशेष आहार का भी सेवन

करना पड़ा होगा तथा उसे इलाज हेतु अटेंडर भी रखना पड़ा होगा और आने जाने में भी व्यय हुआ होगा। यद्यपि उक्त संबंध में आवेदिका के द्वारा कोई दस्तावेज प्रमाणित नहीं कराया गया है, किन्तु उक्त दोनों मदों में आवेदिका को 10,000/- रूपए दिलाया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त आवेदिका को शारीरिक व मानसिक कष्ट भी दुर्घटना में आई हुई चोटों के कारण सहन करना पड़ा होगा। उक्त मद में भी आवेदिका को 10,000/- रूपए की राशि दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि $10,000+10,000+99,200 = 1,19,200/-$ रूपए सम्यक् एवं युक्तियुक्त प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना उचित होगा। उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना उचित होगा। उक्त प्रतिकर अदायिगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से रहेगा। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

क्लेम प्रकरण 26/13 का बिन्दु क्रमांक-6:-

27. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में जबकि मूल आवेदक राधेश्याम गुप्ता की मृत्यु हो चुकी है और उनके वारिस श्रीमती मिथलेश, दीपक एवं कपिल गुप्ता रिकार्ड में है। प्रतिकर की राशि उनके उक्त वारिस बराबर बराबर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इस संबंध में क्लेम आवेदनपत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है।

1. आवेदकगण जो कि स्वर्गीय राधेश्याम गुप्ता के विधिक वारिस है उन्हें प्राप्त होने वाले प्रतिकर की राशि 1,63,460/- रूपए अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
2. उक्त राशि से दावा प्रस्तुति से वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज भी पाने के अधिकारी होंगे।
3. उक्त राशि जमा होने पर मृतक राधेश्याम गुप्ता के उक्त विधिक वारिस बराबर बराबर भाग प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
4. आवेदकगण को प्राप्त होने वाली राशि का 70 प्रतिशत भाग तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किए जाए शेष राशि का भुगतान बचत खाते के माध्यम से नगद किया जाए।
5. अभिभाषक शुल्क एक हजार रूपए निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका बनाई जाए।

क्लेम प्रकरण 26/13 का बिन्दु क्रमांक-6:-

28. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत क्लेम आवेदनपत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है।

1. आवेदिका प्रतिकर की राशि 1,19,200/- रूपए अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी होगी।
2. उक्त राशि से दावा प्रस्तुति से वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज भी पाने के अधिकारी होगी।
3. आवेदिका को प्राप्त होने वाली राशि का 60 प्रतिशत भाग तीन वर्ष की अवधि के लिए

किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किए जाए शेष राशि का भुगतान बचत खाते के माध्यम से नगद किया जाए।

5. अभिभाषक शुल्क एक हजार रूपए निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका बनाई जाए।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अति०मोटर दुर्घटना दावा अधि०
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अति०मोटर दुर्घटना दावा अधि०
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)